


## :- सूचना :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के अनुसार वर्ष 2021-22 में शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु विभाग में कार्यरत कार्मिकों की, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों के प्राप्त विकल्पों का विवरण विभागीय वेबसाईट [www.minorirrigation.uk.gov.in](http://www.minorirrigation.uk.gov.in) पर अपलोड किये जाने हेतु जारी की जा रही है।

  
(मुकेश दत्त)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
लघु सिंचाई भवन, लेन नं0 3, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नथनपुर, देहरादून।**

**संख्या 144 /ल0सिं0 /स्था0-23(4-स्थाना0)/2021-22 दिनांक 20, मई 2021**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को संलग्नक की प्रति सहित इस निर्देश के साथ कि वे उक्त सूचनार्थे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। (संलग्न : उक्तानुसार)
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
(मुकेश दत्त)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।